डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)
5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:
www.dfccil.gov.in

Reply to Original Application

No. 2017/HQ/Admin/RTI-**268** New Delhi:26.12.2017

Smt. Shyam Kumari Devi
W/o Shri Dharmpal Singh,
Jagdishpur Urf Tampalganj,
Post- Sinthora Teh.- Chunar,
Mirzapur, U.P

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Original Application dated 27.11.17 received on 26.12.17 from Smt. Shyam Kumari Devi, r/o Mirzapur, UP, through CPM/Allahabad (East).

आवेदिका के प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.2017 के द्वारा चाही गयी सूचना बिन्दुवार निम्नवत है:-

1. (क) मौजा जगदीशपुर उर्फ टम्मलगंज तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर में स्थित गाटा सं0 161/1 रकबा 0.0130 हे0 रेलवे लाईन के संरेखण के बाहर है। यह तथ्य सक्षम प्राधिकारी /विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सिं0) मीरजापुर की जाँच से स्पष्ट है तभी सक्षम प्राधिकारी /विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सिं0) मीरजापुर ने अर्जन से बाहर किया है। इसलिए अधिग्रहण सम्बन्धी कोई अग्रिम कोई कार्यवाही नही की गई है।
   (ख) मौजा जगदीशपुर उर्फ टम्मलगंज में स्थित गाटा सं0 161/1 रकबा 0.0130 हे0 के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी /विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सिं0) मीरजापुर द्वारा कोई रिपोर्ट केन्द्र सरकार को नही भेजी गई है क्योंकि कथित गाटा अधिग्रहण से बाहर है।
2. (क) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण आवश्यकतानुसार किया गया है। रेलवे संरेखण के अन्दर अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर नियमानुसार हितबद्ध व्यक्तियों को किया गया है। आवेदिका का कथित गाटा संरेखण के बाहर इसलिए कोई कार्यवाही नही की गई है।
   (ख) यह कि आवेदिका की कथित भूमि कभी भी अधिग्रहीत नही की गई है। रेलवे संरेखण के अन्तर्गत जो भूमियां आती थी उन्ही पर कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य कराया गया है।
3. आवेदिका की गाटा सं0 161/1 की भूमि सड़क पर है। यह सड़क के दक्षिण जंहा पर इनका एक मकान पूर्व से बना है, कथित भूमि जरिये बैनामा क्रय की गयी है जिसमें कहीं कोई चौहद्दी या सीमा का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय राज्य मार्ग के उत्तर रेलवे लाईन की तरफ कभी भी कोई कब्जा नही रहा है और न ही वर्तमान में। इसलिये कथित भूमि अधिग्रहण में नही है और न ही प्रतिकर दिये जाने का कोई औचित्य है।

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL, 5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

प्रेषण
26 DEC 2017
प्रेषण सं.
हस्ताक्षर

ED 68743365 8IN

ED 68743366 1IN

(S.K.PANDA)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
E-mail: skpanda@dfcc.co.in
971763681

Copy to:-

1. CPM/ Allahabad (East) For information and record